



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235138
CG-DL-E-13042022-235138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1726]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944

No. 1726]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1813(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में जो दिनांक 11 दिसंबर, 2015 के जी.एस.आर. 993(अ) जिसे दिनांक 21 दिसंबर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी के कम्प्यूटर संसाधनों एवं निम्नलिखित सुविधाओं और सूचना परिसंपत्तियों को उक्त अधिनियम के उद्देश्य से एक संरक्षित प्रणाली घोषित करती है, नामतः :-

- (1) बेंगलुरु हेबल डाटा केंद्र (एचडीसी)।
- (2) सुरक्षा संचालन केंद्र, एचडीसी।
- (3) नेटवर्क संचालन केंद्र, एचडीसी।
- (4) मानेसर डेटा केंद्र (एमडीसी)।
- (5) सुरक्षा संचालन केंद्र, एमडीसी।
- (6) नेटवर्क संचालन केंद्र, एमडीसी।

- (7) सुरक्षा संचालन केंद्र, भा.वि.प.प्राधिकरण (मुख्यालय)।
- (8) सूचना सुरक्षा प्रभाग एवं प्रवर्तन विंग, भा.वि.प.प्राधिकरण (मुख्यालय) ।
- (9) साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, भा.वि.प.प्राधिकरण (मुख्यालय) ।
- (10) यूआईडीएआई में संस्थापित संचारिकी अवसंरचना और निर्भरताएं।

[फ. सं. 10(13)/2017-ई.जी.-II (वॉल्यूम-I)]

डॉ. राजेंद्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Communications and Information Technology published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 993(E), dated the 11th December, 2015, on the 21st December, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares the computer resource of the Central Identities Data Repository of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) and its following facilities and information assets to be a protected system for the purposes of the said Act, namely:-

- (1) Bangalore Hebbal Data Centre (HDC);
- (2) Security Operations Centre of HDC;
- (3) Network Operations Centre of HDC;
- (4) Manesar Data Centre (MDC);
- (5) Security Operations Centre of MDC;
- (6) Network Operations Centre of MDC;
- (7) UIDAI Headquarters Security Operations Centre;
- (8) Information Security Division and Enforcement Wings of UIDAI Head Quarter;
- (9) Cyber Forensic Laboratory at UIDAI Head Quarter
- (10) Logistics Infrastructure and Dependencies installed at UIDAI.

[F. No. 10(13)/2017-EG-II (Vol-I)]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.